

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 09.08.2026

01 अदद अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त मो0 असरफ उर्फ गोलू पुत्र अमानतुल्लाह को 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0310/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

मो0 असरफ उर्फ गोलू पुत्र अमानतुल्लाह निवासी चक्सा हुसैन हुसैनाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
आपराधिक इतिहास:-

- i. मु0अ0सं0-0310/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोरखनाथ थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 022/2021 धारा 25, 27, 3 आर्म्स एक्ट खोराबार गोरखपुर
- iii. मु0अ0सं0 0020/2021 धारा 120-B, 147, 148, 149, 302, 34 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0सं0 0338/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 0.315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तारी की टीम:-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अनीश कुमार सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अंगद यादव, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 रिपुसूदन शुक्ला थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. का0 अभिनन्दन यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
6. का0 प्रदीप चौधरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
7. रि0का0 युवराज सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर